जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 02.04.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1496 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1496 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत रक्शाकला से कालर द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 महिला (1.परवीन पत्नी सिराज अहमद ग्राम रक्साकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट/विवाद में घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से सी0एच0सी0 सेमरियावां भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल महिला को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 सेमरियावां भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 गौतम कुमार, आ0 धर्मेन्द्र मौर्या, हो0चा0 सुरजीत कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 106 वाहनों से 1,26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 02.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 106 वाहनों से 1,26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 02.04.2025

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन"अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के तहत 01 अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 02.04.2025 को मा0 न्यायालय *अपर सत्र न्यायाधीश / (एफ0टी0सी0-2) जनपद संतकबीरनगर* के द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2012 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता हरिद्वार उर्फ रामू पुत्र तुलसीराम निवासी रनियापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को अंतर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में 01 वर्ष के कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जायेगा।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 02.04.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त अमन पुत्र शिव प्रसाद निवासी नौहट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 02.04.2025 को चौकी औद्योगिक क्षेत्र में श्मशान घाट के पास से कुल 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अमन पुत्र शिव प्रसाद निवासी नौहट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 264/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 700 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, हे0का0 छोटेलाल सिंह,का0 मनीष कुमार यादव, का0 घनश्याम त्रिपाठी।

जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　　दिनाँक 02.04.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 224/2025 धारा 137(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. मोहम्मद सादाब पुत्र गयासुद्दीन निवासी कांशीराम आवाज ब्लाक न0 24 थर्ड फ्लोर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. अमन वर्मा पुत्र स्व0 सन्तोष सोनी निवासी कांशीराम आवास ब्लाक नं0 7 थर्ड फ्लोर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को कबीरचौरा मगहर में शिव मन्दिर के पास घाट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 18.03.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि वादी की नाबालिक पुत्री दिनांक 17.03.2025 से गायब है अभी तक घर नही आयी है। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 02.04.2025 को घटना से संबंधित उक्त 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, हे0का0 प्रदीप सिंह, हे0का0 कृष्णनंद गोड़,का0 गिरजेश कुमार।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 02.04.2025

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 43 स्थानों पर लगवाये गये 255 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में आज दिनांक 02.04.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से *43 स्थानों पर कुल 255 सीसीटीवी कैमरें* लगवाये गये । थाना दुधारा पुलिस द्वारा 04 स्थान पर 38 कैमरा, थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 19 स्थान पर 71 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 41 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 06 स्थान पर 28 कैमरा, थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 स्थान पर 19 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 06 स्थान पर 44 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 10 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, ***आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा ।***